

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 29.09.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- ❖ थाना अमराहट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 32/25 धारा 317(2) बीएनएस सम्बन्धित अभियुक्त रामजी पुत्र मुकुंदी लाल उम्र 25 वर्ष निवासी मोहल्ला निषादनगर गोविन्दनगर द्विवेदी गेस्ट हाउस के सामने औरैया (वाँछित) से सम्बन्धित जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 60/19 धारा 60 EX ACT सम्बन्धित अभियुक्त राजेश शर्मा पुत्र रामचन्द्र निवासी भड़पुरा थाना डेरापुर (वारण्टी) जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 286/25 धारा 137 (2)/87 बीएनएसएस सम्बन्धित अभियुक्त हरिओम पुत्र रमेश निवासी किशुनपुर कपली थाना जहानाबाद जिला फतेहपुर (वाँछित))से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जयप्रकाश उम्र 46 वर्ष पुत्र स्व0 राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम कटरी थाना रेऊना जनपद कानपुर नगर अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक स्थान हलिया मोड के पास सडक किनारे खडे होकर आने जाने वाली महिलाओ/लडकियो को देखकर अश्लील गाना गाने जिससे महिलाओ/लडकियो को शर्मिंदगी महसूस होने के होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 32/25 धारा 296(b) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सन्दीप कुमार पुत्र स्व0 राजू निवासी ग्राम रैंगवा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात तथा उम्र लगभग 35 वर्ष, अभियुक्त द्वारा महिलाओं व लडकियो को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 328/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरविन्द पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम रैंगवा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात तथा उम्र लगभग 40 वर्ष, अभियुक्त द्वारा महिलाओं व लडकियो को देखकर गाने गाना व अश्लील हरकते करना के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 329/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 26 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।